9/12/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। मूलवाद अन्तिम डिक्री हेतु आदेशित किया जा चुका है अतः T.I. प्रा/पत्र का अब कोई औचित्य शेष नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.01.27 13:54:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner